दिनांक: 03.2.2026

-प्रेस नोट-

थाना सदर बाजार पुलिस व स्वाट/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा ज्वैलरी शौरूम CARATLANE में हुई चोरी की बड़ी घटना का खुलासा करते हुए 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, हीरे व सोने के आभूषण (कीमत करीब 03 करोड़ रुपये) व 45,100/- रुपये नकद बरामद

(बरामदगी का विवरण)

- 09 नैकलेश
- 67 बरेसलेट
- 17 मंगलसूत्र
- 32 जोडे ईयर रिंग
- 02 गले का सेट मय ईयर रिंग
- 18 पेन्डेंट
- 03 चार्मस
- 90 अंगूठी
- 32 चैन
- 11 चूडी
- 45,100/- रुपये नगद
- (40 पीस आभूषण पीली धातू चूडी चैन अगूठी आर्टिफिसयल)

घटना का विवरणः-

दिनांक 23.1.2026 को वादी श्री अकिंत मुखर्जी CARATLANE स्टोर मैनेजर दिल्ली रोड थाना सदर बाजार सहारनपुर द्वारा थाने पर लिखित सूचना दी कि दिल्ली रोड स्थित टाटा स्टोर CARATLANE शौरूम में दिनांक 23.1.2026 की रात्रि मे अज्ञात चोरों द्वारा स्टोर की दीवार तोड़कर सोने, डायमंड के आभूषण व नकदी चोरी कर ले जाने की सूचना पर थाना सदर बाजार पर मु0अ0स0 49/26 धारा 305(ए) 331(4) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया।

पुलिस कार्रवाईः-

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी सदर बाजार के कुशल नेतृत्व में सदर बाजार पुलिस व स्वाट टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तगण ***1.इरशाद उर्फ काला पुत्र अनीश उर्फ पीरू निवासी भंगी कालोनी नियर हसमत कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर हाल पता सैतान चौक कलियर थाना कलियर जनपद रुडकी उत्तराखण्ड 2. दिलशाद पुत्र अनीश उर्फ पीरु निवासी भंगी कालोनी नियर हसमत कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर हाल पता सैतान चौक कलियर थाना कलियर जनपद रुडकी उत्तराखण्ड 3. सलमा पत्नि अरशद निवासी भंगी कालोनी नियर हसमत कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर हाल पता नयी बस्ती सरकारी टयूबवैल किराये का मकान सोनू का कलियर थाना कलियर जनपद***

रुडकी उत्तराखण्ड 4. काली पत्नि अनीश उर्फ पीरू निवासी भंगी कालोनी नियर हसमत कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर हाल पता बंजारो का मौहल्ला पान की दुकान वाली गली थाना भगवानपुर जनपद रुडकी उत्तराखण्ड 5. सीमा पत्नि दिलशाद निवासी भंगी कालोनी नियर हसमत कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर हाल पता सैतान चौक कलियर थाना कलियर जनपद रुडकी उत्तराखण्ड *को आज दिनांक 03.02.2026 को छोटी रेलवे लाईन खलासी लाईन के पास से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी के आभूषण (सोना, डायंमड) 45,100/- नगदी बरामद हुई।* ***बरामद आभूषणों की कीमत करीब 03 करोड रू0 है।*** *गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) 3(5) बी0एन0एस0 की वृद्दि की गयी गिरफ्तार अभियुक्तो के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

<u>पूछताछ का विवरणः-</u>

अभियुक्त इरशाद ने पूछताछ करने पर बताया कि मै मूल रूप से अम्बेहटापीर थाना नकुड का रहने हूँ। मै छोटी छोटी चोरी करता था पुलिस ने मेरा घर देख लिया था जिस कारण मे अम्बेहटापीर से अपना मकान बेचकर परिवार के साथ भंगी कालोनी नियर हसमत कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर मे किराये के मकान मे रहने लगा। यहा भी मैं चोरी करता था जिस कारण थाना मण्डी पुलिस द्वारा मेरी हिस्ट्रीशीट खोल दी गयी थी मै जेल गया था व करीब 10 माह पहले जेल से छुटकर आया तो मै अपने परिवार के साथ सैतान चौक कलियर थाना कलियर जनपद रुडकी उत्तराखण्ड में किराये के मकान मे रहने लगा। मुझे खुद के मकान बनाने के लिए पैसो की आवश्यकता थी मै करीब एक माह से कबाडी का वेष बनाकर दिल्ली रोड स्थित टाटा स्टोर CARATLANE में चोरी करने के लिए रैकी कर रहा था। सोचा था कि जिस दिन मौसम खराब होगा उस दिन घटना को आराम से अन्जाम दिया जा सकता है। मै घटना से एक दिन पहले ही स्वाति होण्डा ऐजेन्सी की तरफ की खिडकी के रास्ते से होकर टाटा स्टोर की छत पर आ गया था रात्रि में मैने वहा पर नशा किया व खाना खाया और मुझे नींद आ गयी मै सौ गया था आख नही खुली अगले दिन रात्रि मे मौसम खराब था चारो तरफ सुनसान पडा था तथा सर्दी भी ज्यादा हो रही थी। मैन स्वाती होण्डा ऐजेन्सी की छत पर बिद्युत केबिल काटकर गलेण्डर के तार जोडकर छत का दरवाजा काटकर जीने की दीवार के पास बल्ब की रोशनी करके स्टोर की दीवार को गलेण्ड़र से काटकर स्टोर के अन्दर घुस गया व चैनल को काटा था व घटना के समय मैने अपने चेहरे को नकाब से ढका हुआ था ताकि सीसीटीवी मे चेहरा पहचान मे न आ सके स्टोर से मैने सोने व डायमंड के आभूषण व नगदी चोरी की तथा उसके बाद मै नकाब लगाकर लंगडाकर चलने की एक्टिंग करता हुआ वहा से आ गया रास्ते मे मैने घटना के समय पहने कपडे भी बदल लिये थे व उसके बाद मै कलियर के लिए चला गया था तथा दुकान से कुछ सोने की तरह दिखने वाले आभूषण चूडी चैन व अगूठी खरीद ली थी कि यदि पुलिस द्वारा पकडा गया तो ये नकली आर्टिफिसियल आभूषण पुलिस को दे दूगा मेरे द्वारा चोरी किये गये सामान को बैचने मे मेरा भाई दिलशाद, माँ काली, भाभी सीमा सलमा मेरा सहयोग करते है। जिनके माध्यम से मै चोरी के आभूषणो को अन्य राज्यो मे बैचता हूँ आज मै व मेरा भाई दिलशाद, माँ काली, भाभी सीमा व भाभी सलमा को साथ लेकर टाटा स्टोर से चोरी किये आभूषणो को बेचने के लिए दूसरे राज्य मे जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. *इरशाद उर्फ काला पुत्र अनीश उर्फ पीरू निवासी भंगी कालोनी नियर हसमत कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर हाल पता सैतान चौक कलियर थाना कलियर जनपद रुडकी उत्तराखण्ड।*
2. *दिलशाद पुत्र अनीश उर्फ पीरु निवासी भंगी कालोनी नियर हसमत कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर हाल पता सैतान चौक कलियर थाना कलियर जनपद रुडकी उत्तराखण्ड।*
3. *सलमा पत्नी अरशद निवासी भंगी कालोनी नियर हसमत कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर हाल पता नयी बस्ती सरकारी टयूबवैल किराये का मकान सोनू का कलियर थाना कलियर जनपद रुडकी उत्तराखण्ड।*

4. काली पत्नी अनीश उर्फ पीरू निवासी भंगी कालोनी नियर हसमत कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर हाल पता बंजारो का मौहल्ला पान की दुकान वाली गली थाना भगवानपुर जनपद रुडकी उत्तराखण्ड।
5. सीमा पत्नी दिलशाद निवासी भंगी कालोनी नियर हसमत कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर हाल पता सैतान चौक कलियर थाना कलियर जनपद रुडकी उत्तराखण्ड।

अभियुक्त इरशाद उर्फ काला का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 287/2021 धारा 380/411/457 भादवि थाना जनकपुरी
2. मु0अ0सं0 294/2021 धारा 380/411/457 भादवि थाना जनकपुरी
3. मु0अ0सं0 299/2021 धारा 25/4 भादवि थाना जनकपुरी
4. मु0अ0सं0 119/2014 धारा 110 जी दं०प्र०सं० थाना कुतुबशेर
5. मु0अ0सं0 352/2014 धारा 3 उ0प्र0 गुण्डागर्दी नियन्त्रण अधिनियम थाना कुतुबशेर
6. मु0अ0सं0 654/2014 धारा 380 भादवि थाना सदरबाजार
7. मु0अ0स0 673/2014 धारा 380/454 भादवि थाना सदरबाजार
8. मु0अ0सं0 699/2014 धारा 380/454 भादवि थाना सदरबाजार
9. मु0अ0सं0 718/2014 धारा 380 भादवि थाना सदरबाजार
10. मु0अ0सं0 720/2014 धारा 380/457 भादवि थाना सदरबाजार
11. मु0अ0सं0 749/2014 धारा 380/457 भादवि थाना सदरबाजार
12. मु0अ0सं0 562/2009 धारा 60 आबकारी अधि० थाना कुतुबशेर
13. मु0अ0सं0 57/2012 धारा 380/457/511 भादवि थाना कुतुबशेर
14. मु0अ0सं0 195/2011 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कुतुबशेर
15. मु0अ0सं0 400/2011 धारा 380/457 भादवि थाना नकुड
16. मु0अ0सं0 380/2009 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना नकुड
17. मु0अ0सं0 48/2023 धारा 414/120बी भादवि थाना जनकपुरी
18. मु0अ0सं0 731/2022 धारा 380/457/411 भादवि थाना सदरबाजार
19. मु0अ0सं0 101/2022 धारा 380 भादवि थाना सदरबाजार
20. मु0अ0सं0 443/22 धारा 454/380 भादवि थाना सदरबाजार
21. मु0अ0सं0 439/22 धारा 380 भादवि थाना सदरबाजार
22. मु0अ0सं0 68/23 धारा 380 भादवि थाना मण्डी
23. मु0अ0सं0 67/23 धारा 380 भादवि थाना मण्डी
24. मु0अ0सं0 62/23 धारा 380/457 भादवि थाना सदरबाजार
25. मु0अ0सं0 11/23 धारा 380 भादवि थाना कोतवाली देहात
26. मु0अ0सं0 595/22 धारा 380 भादवि थाना सदरबाजार
27. मु0अ0सं0 374/22 धारा 380 भादवि थाना सदरबाजार

अभियुक्ता काली का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 68/23 धारा 120/380/411 भा0द0वि0 थाना मण्डी सहारनपुर
2. मु0अ0स0 101/22 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना सदर बाजार
3. मु0अ0स0 374/22 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना सदर बाजार
4. मु0अ0स0 439/22 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना सदर बाजार
5. मु0अ0स0 443/22 धारा 380/411/454 भा0द0वि0 थाना सदर बाजार

6. मु0अ0स0 595/22 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना सदर बाजार
7. मु0अ0स0 731/22 धारा 380/411/457 भा0द0वि0 थाना सदर बाजार
8. मु0अ0स0 062/23 धारा 380/411/457 भा0द0वि0 थाना सदर बाजार
9. मु0अ0स0 48/23 धारा 414/120बी भा0द0वि0 थाना जनकपुरी
10.मु0अ0स0 113/24 धारा 2/3 गैगस्टर अधि0 थाना जनकपुरी सहारनपुर
11.मु0अ0स0 11/23 धारा 380/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली देहात
12.मु0अ0स0 67/23 धारा 380 भादवि थाना मण्डी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
2. निरीक्षक संजीव कुमार यादव स्वाट टीम प्रभारी सहारनपुर
3. निरीक्षक श्री सुनील शर्मा स्वाट टीम सहारनपुर
4. व0उ0नि0 विपिन कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
5. उ0नि0 सुशील कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
6. उ0नि0 रविन्द्र सिह थाना सदर बाजार सहारनपुर
7. म0उ0नि0 स्वेता शर्मा थाना सदर बाजार सहारनपुर
8. म0उ0नि0 चंचल थाना सदर बाजार सहारनपुर
9. है0का0 447 अमरदीप सिह स्वाट टीम सहारनपुर
10.है0का0 07 सचिन शर्मा स्वाट टीम सहारनपुर
11.है0का0 81 हरेन्द्र सिह स्वाट टीम सहारनपुर
12.है0का0 681 वसीम स्वाट टीम सहारनपुर
13.है0का0 1016 मनदीप स्वाट टीम सहारनपुर
14.का0 405 गौरव स्वाट टीम सहारनपुर
15.का0 2229 अमित स्वाट टीम सहारनपुर
16.है0का0 सोनू शर्मा सर्विलांस टीम सहारनपुर
17.है0का मोहित कुमार सर्विलांस टीम सहारनपुर

दिनांकः 03.2.2026

-प्रेस नोट-

थाना सरसावा पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमे में वांछित 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 लाठी (आलाकत्ल) बरामद

घटना का विवरणः-

दिनांक 01.02.2026 को वादी फारुख पुत्र हनीफ निवासी ग्राम कुण्डा थाना सरसावा जिला सहारनपुर हाल पता ग्राम तीतपाल उर्फ तेल्लीपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.नसीरु पुत्र मीरबाज 2.बाबर 3. मुकर्रम 4. शाकिर पुत्रगण नसीरु निवासीगण ग्राम कुण्डा थाना सरसावा जिला सहारनपुर द्वारा वादी के भतीजे आहाद पुत्र ताहिर निवासी तीतपाल उर्फ तेल्लीपुरा थाना सरसावा जिला सहारनपुर के साथ गाली गलोज कर मारपीट करना शोरगुल की आवाज पर बीच बचाव के लिए वादी का लड़का जुनैद व भतीजी फरहमत के आने पर उनके साथ भी मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देते हुए चले जाने के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0स0 36/2026 धारा 115(2)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 महेश सिंह द्वारा प्रारम्भ की गयी।

दिनांक 02.02.2026 को अस्पताल में ***उपचार के दौरान वादी के भतीजे आहाद की मृत्यु हो जाने के उपरांत मुकदमा उपरोक्त मे धारा 103(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी*** *व मुकदमा उपरोक्त की विवेचना उ0नि0 महेश सिंह से थानाध्यक्ष सरसावा द्वारा ग्रहण की गयी तथा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण 1-गय्यूर पुत्र मीरबाज 2-नवीद पुत्र असलम निवासीगण ग्राम कुण्डा थाना सरसावा जिला सहारनपुर का नाम प्रकाश मे आया व मुकदमा उपरोक्त मे धारा 3(5)/190/191(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी।*

पुलिस कार्यवाहीः-

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये थे। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 02.02.2026 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण ***1.बाबर 2. मुकर्रम 3. शाकिर पुत्रगण नसीरु निवासीगण ग्राम कुण्डा थाना सरसावा जिला सहारनपुर*** *को सड़क किनारे कल्याणपुर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की निशानदेही से घटना में प्रयुक्त 02 लाठी (आलाकत्ल) बरामद हुई। अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. बाबर पुत्र नसीरु निवासी ग्राम कुण्डा थाना सरसावा जिला सहारनपुर।
2. मुकर्रम पुत्र नसीरु निवासी ग्राम कुण्डा थाना सरसावा जिला सहारनपुर।
3. शाकिर पुत्रगण नसीरु निवासी ग्राम कुण्डा थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

अभियुक्त बाबर का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0स0 426/2018 धारा 323/354/506 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर।

अभियुक्त मुकर्रम का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0स0 482/2018 धारा 147/323/325/452 भादवि थाना सरसावा सहारनपुर।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

- *02 लाठी (आलाकत्ल) घटना में प्रयुक्त*

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. *श्री प्रवेश कुमार थानाध्यक्ष सरसावा सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री सौरभ यादव थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।*
3. *हे0का0 831सोनू ढाका थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।*
4. *है0का0 661 सम्राट सिह थाना सरसावा सहारनपुर।*
5. *है0का0 24 सुनील कुमार थाना सरसावा सहारनपुर।*
6. *का0 1996 मोहित कुमार थाना सरसावा सहारनपुर।*

दिनांक- 03-02-2026

-प्रेस नोट-

“ऑपरेशन सवेरा”

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 12.20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में “ऑपरेशन सवेरा” – **“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”** अभियान चलाया जा रहा है।*

*पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 03.02.2026 को चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त **आरिश पुत्र कल्लू उर्फ नसीम निवासी गन्देवडा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को रूडकी रोड जंगल ग्राम रजापुर जयसिंघा से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 12.20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 53/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आरिश पुत्र कल्लू उर्फ नसीम निवासी गन्देवडा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

- *12.20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद*

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1. *मु0अ0स0 53/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर।*
2. *मु0अ0सं0 26/23 धारा 294 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर।*
3. *मु0अ0सं0 160/23 धारा 147/148/323/504/506 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर।*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. *थानाध्यक्ष विनय शर्मा थाना फतेहपुर सहारनपुर।*
2. *उ0नि0 श्री मशकूर अली थाना फतेहपुर सहारनपुर।*
3. *है0का0 231 रोहित तोमर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*
4. *का0 1323 कुलदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।*

-प्रेस नोट-

दिनांक: 03.02.2026

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण एंव वान्छित/ वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.02.2026 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त ***कुलदीप पुत्र बीरसिंह निवासी ग्राम पटनी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर*** *(सम्बन्धित वाद सं0-7919/25 मु0अ0सं0 172/09 धारा 457/380/411 भादवि चालानी थाना जनकपुरी न्यायालय श्रीमान ए0सी0जे0एम0 तृतीय सहारनपुर) को ग्राम पटनी थाना चिलकाना से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

कुलदीप पुत्र बीरसिंह निवासी ग्राम पटनी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. *उ0नि0 श्री नरेन्द्र सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।*
2. *का0 978 विपिन नैन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।*

दिनांकः 03.02.2026

-प्रेस नोट-

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय स्पेशल एससी/एसटी एक्ट जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 40 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है, कि दिनांक 15.10.2020 को श्रीमति कोमल पत्नी अमित कुमार निवासी ग्राम लण्ढौरा थाना नानौता जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर की सूचना पर अभियुक्त रामू पुत्र बाबूराम निवासी लण्ढौरा थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया व उसके पति के साथ मारपीट कर बुरी नीयत से कपडे फाड़ना व गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देना व जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से गम्भीर चोट पहुचाना व जाति सूचक शब्दो का प्रयेग करने की सूचना पर मु0अ0स0-409/20 धारा 457/354ख/307/323/325/504/506 भादवि व धारा3(2)वी एससी/एसटी एक्ट थाना नानौता जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-1620/20 पर माननीय न्यायालय स्पेशल एससी/एसटी एक्ट जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में ***OPERATION CONVICTION*** *में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते* ***माननीय न्यायालय स्पेशल एससी/एसटी एक्ट जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 03.02.2026 को अभियुक्त रामू पुत्र बाबूराम निवासी लण्ढौरा थाना नानौता जनपद सहारनपुर को मु0अ0स0-409/20 धारा 457/354ख/307/323/325/504/506 भादवि व धारा 3(2) वी एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व 40 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।***

शासकीय अधिवक्ता- (ए0डी0जी0सी0) श्री निर्मल गौर
विवेचक- क्षेत्राधिकारी श्री चौब सिंह
पैरोकार- है0का0 788 नौशाद राणा थाना नानौता सहारनपुर।